फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा **बनाम** मेसर्स बिंदल मिनरल्स एंड मेटल्स प्रा० लि०

किस्म मुकदमा: - अंतर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु० नम्बर ....06...सन 202

GCMS 2028/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हुय
	यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एंड रिकनस्ट्रशन ऑफ़ फ़ाइनेन्सिअल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री गुरबाग़ सिंह प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा, ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या मेसर्स बिंदल मिनरल्स एंड प्रा० लि० ई -36 , ग्रोथ सेंटर रीको द्वितीय ओंडेला रोड धौलपुर (राज.) 328001, ऋणी 2. श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र श्री विशम्भर प्रसाद गोयल डायरेक्टर निवासी 60/310ए /3 खैरिया मोड़ , जगनेर रोड, आगरा - 282008, ऋणी 3. श्री अरविन्द कुमार दीक्षित पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास दीक्षित निवासी ए-7, संगम विहार, खैरिया मोड़, आगरा-282001,ऋणी 4. श्रीमती ममता दीक्षित पत्नी श्री अरविन्द कुमार दीक्षित निवासी ए-7, संगम विहार, खैरिया मोड़, आगरा-282001,ऋणी 5. श्रीमती मिथलेश गोयल पत्नी श्री राकेश चाँद गोयल, निवासी - 60/310 ए , सब्जी मंडी, खैरिया मोड़, आगरा - 282001 के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 28.09.2017 को 20000000/- रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे | ऋण राशि निम्न परिसंपत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है: - 1.फैक्ट्री भूमि एवं भवन स्थित ई -36 , ग्रोथ सेंटर रीको द्वितीय ओंडेला रोड धौलपुर, राजस्थान , एरिया 4000 वर्ग मीटर , संपत्ति मै. बिन्दल मिनरल्स एंड मेटल्स प्रा० लि० के नाम चौहद्दी पूर्व संपत्ति संख्या ई -37, पश्चिम संपत्ति सं० ई -35 , उत्तर रास्ता, दक्षिण - अन्य की संपत्ति है | ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है | ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा द्वारा दिनांक 16.07.2019 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन० पी० ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया | तथा दिनांक 18.07.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 8252990.24 /- रुपये (बयासी लाख बावन हज़ार नौ सौ नब्बे रूपये चौबीस पैसे मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक एवं दिनांक 27.10.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की | ऋणी 60 दिन	

में ऋण राशि अदा करने में असफल रहें | अतः प्रार्थी केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा के तहत निवेदन किया है

हमने प्रार्थी केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया | पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो | ऋणी /बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी संपत्ति 1.फैक्ट्री भूमि एवं भवन स्थित ई -36 , ग्रोथ सेंटर रीको द्वितीय ओंडेला रोड धौलपुर, राजस्थान , एरिया 4000 वर्ग मीटर , संपत्ति मै. बिन्दल मिनरल्स एंड मेटल्स प्रा० लि० के नाम चौहद्दी पूर्व संपत्ति संख्या ई -37, पश्चिम संपत्ति सं० ई -35 , उत्तर रास्ता, दक्षिण - अन्य की संपत्ति है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी केनरा बैंक, कमला नगर बाई पास रोड ब्रांच आगरा को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं | पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी जिया जावे | पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | प्रकरण नम्बर से कम किया जावे |

आदेश आज दिनांक 16/03/2022 को खुले न्यायलय में सुनाया गया |

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर